प्रकरण संख्या 36/2019 2019/00155 तारीख रजु–14.06.2019

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाड़िया, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार

– अपीलाण्ट

बनाम

अभय कुमार पुत्र श्री शंकरलाल जाति मीना निवासी नयागांव तहसील मण्डरायल जिला करौली

– रेस्पोण्डेण्ट

अपील आर्म्स एक्ट

निर्णय

दिनांक–13.08.2019

यह अपील कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली के निर्णय दिनांक 03.12.2018 के विरुद्ध माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय, भरतपुर में आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के तहत प्रस्तुत अपील के निर्णय दिनांक 14.03.2019 से रिमाण्ड होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुई है। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अप्रार्थी के अनुज्ञापत्र के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस अधीक्षक करौली से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। पुलिस अधीक्षक करौली ने अपनी जांच रिपोर्ट क्रमांक–ल–1( )श.नवीन/सामान्य/2018/7891 दिनांक 07.09.2018 द्वारा अवगत कराया कि श्री अभय कुमार पुत्र श्री शंकरलाल जाति मीना निवासी नयागांव तहसील मण्डरायल जिला करौली के विरुद्ध अभियोग संख्या 28/2018 अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 471, 193 आई.पी.सी. व 125ए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम थाना कोतवाली करौली के बाद अनुसंधान चार्जशीट नं. 44 दिनांक 19.03.2018 को न्यायालय में पेश की गई है। साथ ही जांच रिपोर्ट में श्री अभय कुमार के जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त किये जाने की अभिशंषा की गई। पुलिस अधीक्षक करौली की शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त करने की अभिशंषा पर आलोच्य आदेश दिनांक 03.12.2018 द्वारा श्री अभय कुमार का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया जिसके विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 18 के तहत न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर में अपील प्रस्तुत की गई जिसमें पारित निर्णय दिनांक 14.3.2019 से इस न्यायालय को रिमाण्ड होकर यह अपील प्राप्त हुई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी/रेस्पोण्डेण्ट की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। थानाधिकारी मण्डरायल से रिपोर्ट तलब कर शामिल पत्रावली की गई।

जिला कलक्टर
करौली

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 03.12.2018 विधिक कार्यवाही कर जारी किया गया है। रेस्पोण्डेण्ट द्वारा जिस शस्त्र के लिए अनुज्ञापत्र जारी करवा रखा है उस शस्त्र के सहारे रेस्पोण्डेण्ट द्वारा लूट–पाट, बच्चियों से छेड़खानी एवं राहगीरों से डराने–धमकाने की शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक करौली की जांच रिपोर्ट क्रमांक–ल–1( )श.नवीन/सामान्य/2018/7891 दिनांक 07.09.2018 जिसमें पुलिस अधीक्षक करौली द्वारा अवगत करवाया है कि रेस्पोण्डेण्ट के विरुद्ध विरुद्ध अभियोग संख्या 28/2018 अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 471, 193 आई.पी.सी. व 125ए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम थाना कोतवाली करौली के बाद अनुसंधान चार्जशीट नं. 44 दिनांक 19.03.2018 को न्यायालय में पेश की गई है। साथ ही शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त करने की अभिशंषा पर रेस्पोण्डेण्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है। अंत में शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त ही रखा जाने का कथन किया है।

वकील रेस्पोण्डेण्ट का बहस में कथन है कि अभियोग संख्या 28/2018 में चार्जशीट पेश हुई है लेकिन उसमें अभी तक अंतिम निर्णय पारित नहीं हुआ है और ना ही रेस्पोण्डेण्ट को दोषी पाया गया है। जब तक अभियोग संख्या 28/2018 में दोषी नहीं पाया जाता एवं अंतिम निर्णय पारित नहीं हो जाता, तब तक रेस्पोण्डेण्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त नहीं किया जा सकता है। साथ ही प्राप्त शिकायत जिसमें जिस शस्त्र के लिए अनुज्ञापत्र जारी किया गया है, उस शस्त्र के सहारे रेस्पोण्डेण्ट द्वारा लूट–पाट, बच्चियों से छेड़खानी एवं राहगीरों को डराने–धमकाने की शिकायत के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। रेस्पोण्डेण्ट की सुनवाई किये बिना आलोच्य आदेश दिनांक 03.12.2018 जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त नहीं किया जा सकता है। माननीय संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 14.03.2019 में अपने विवेचन में माना है कि रेस्पोण्डेण्ट को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र को आम जनता की शिकायत पर जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर निरस्त किया गया है जबकि न तो अभी किसी सक्षम अदालत ने अपीलाण्ट को किसी भी प्रकरण में दोषी करार दिया गया है न ही अपराधों के चलते अपीलाण्ट के खिलाफ कोई और मुकदमे दर्ज होना प्रमाणित हुआ है। आर्म्स एक्ट की कार्यवाही के अंतर्गत किसी व्यक्ति के नाम फर्जी होने बाबत् अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता। आर्म्स एक्ट की कार्यवाही एवं किसी व्यक्ति के फर्जी नाम के संदर्भ में सक्षम अदालत द्वारा गुणावगुण के आधार पर अन्तिम निर्णय लिया जाना दोनों ही पृथक–पृथक न्यायिक प्रक्रियाएं हैं जिन्हें एक साथ देखा जाना न्यायोचित नहीं रहता है। लिहाजा यहां यह उचित रहेगा कि जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा फर्जी नाम के संदर्भ में स्पष्ट अंतिम पारित किया हुआ निर्णय सामने नहीं आ जाता तब तक अपीलाण्ट अभयकुमार जिनके हक में सक्षम अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा जारी किये गये शस्त्र अनुज्ञापत्र को बिना किसी ठोस आधार के

जिला कलक्टर

निरस्त किया जाना मुनासिब नहीं रहता है। प्रकरण में यह तथ्य भी जाहिर है कि रेस्पोण्डेण्ट अभयकुमार को नोटिस जारी किये गये, रजिस्टर्ड सम्मन भी जारी किये गये किन्तु अभी तक उसकी व्यक्तिगत तामील नहीं हो सकी है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल रहती है। माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने D.B. Special Appeal (Writ) No. 576 of 2003; decided on 18.01.2005 Khem Singh versus The State of Rajasthan & Ors. में यह निर्णय पारित किया है कि Mere fact that some reports have been lodged against the license holder is not sufficient for cancelling the license. A license can be revoked u/s 17(3)(b) if the licensing authority deem it necessary for the security of public peace or public safety, such an order is liable to be quashed. इस संबंध मे क्रिमिनल लॉ रिपोर्ट (राज.) 2005(2) की नजीर प्रस्तुत की है। अंत में शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने का कथन किया है।

थानाधिकारी मण्डरायल से रेस्पोण्डेण्ट के चाल–चलन के संबंध में रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी मण्डरायल ने रिपोर्ट क्रमांक 1098 दिनांक 06.08.2019 से अवगत करवाया है कि रेस्पोण्डेण्ट के विरुद्ध अभियोग संख्या 28/2019 थाना कोतवाली करौली के अलावा थाना मण्डरायल पर कोई प्रकरण व शिकायत दर्ज नहीं है एवं रेस्पोण्डेण्ट का चरित्र उत्तम है। मुताबिक रजिस्टर मालखाना श्री अभय कुमार का शस्त्र मालखाने में जमा है एवं उस शस्त्र का दुरुपयोग करने अथवा अन्य किसी प्रकार से शस्त्र धारण करने में आम जन को किसी प्रकार की असुरक्षा अथवा अशांति को कोई अंदेशा प्रतीत नहीं होना बताया है। साथ ही उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र को पुनः बहाल किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। रेस्पोण्डेण्ट द्वारा जिस शस्त्र के लिए अनुज्ञापत्र जारी करवा रखा है उस शस्त्र के सहारे रेस्पोण्डेण्ट द्वारा लूट–पाट, बच्चियों से छेड़खानी एवं राहगीरों से डराने–धमकाने की शिकायत के संदर्भ में पत्रावली में किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है ना ही पुलिस अधीक्षक करौली की रिपोर्ट में साक्ष्य का वर्णन है। किसी के विरुद्ध अभियोग दर्ज होना एक बात है और उसमें दोषी पाया जाना दूसरी बात है। रेस्पोण्डेण्ट के विरुद्ध अभियोग संख्या 28/2018 अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 471, 193 आई.पी.सी. व 125ए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम थाना कोतवाली करौली के बाद अनुसंधान चार्जशीट नं. 44 दिनांक 19.03.2018 को न्यायालय में पेश की गई है लेकिन ना तो उसमें रेस्पोण्डेण्ट को अभी तक दोषी पाया गया है और ना ही उसमें अंतिम निर्णय पारित किया गया है। माननीय संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर ने भी अपने निर्णय दिनांक 14.03.2019 के विवेचन में यह माना है कि –

"जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा फर्जी नाम के संदर्भ में स्पष्ट अंतिम पारित किया हुआ निर्णय सामने नहीं आ जाता तब तक अपीलाण्ट अभयकुमार जिनके हक

जिला कलक्टर
करौली

में सक्षम अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा जारी किये गये शस्त्र अनुज्ञापत्र को बिना किसी ठोस आधार के निरस्त किया जाना मुनासिब नहीं रहता है।''

ऐसी स्थिति में हम वकील रेस्पोण्डेण्ट के कथन से सहमत हैं तथा वकील रेस्पोण्डेण्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर इस प्रकरण में चस्पा होती है। रेस्पोण्डेण्ट को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र को अभियोग संख्या 28/2018 थाना कोतवाली करौली के निर्णय के अध्यधीन रखते हुए बहाल किया जाना उचित समझते हैं।

अतः इस कार्यालय का आलोच्य आदेश क्रमांक एफ. 21(1)(15)न्याय/2013/6385 दिनांक 03.12.2018 निरस्त किया जाता है। रेस्पोण्डेण्ट को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र को अभियोग संख्या 28/2018 थाना कोतवाली करौली के निर्णय के अध्यधीन रखते हुए बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय सहित मूल पत्रावली न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट, करौली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

13-08-2019

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
करौली